



(प्रारूप "अ")

(ई-रेस्ट्रायर नंबर IN-UP00086276512291V)

शपथ पत्र

सहम अधिकारी प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

हम निजस्वयज एवं मुख्यराज क्रमसः अध्यक्ष एवं सचिव एवं/ए-20 गंगा नगर मवाना रोड, मेरठ।  
शाखापूर्वक निम्नलूप बयान करते हैं-

1 यह कि हमारी एक्जाम द्रष्ट द्वारा संचालित थृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्मसी पता बना,  
मवाना रोड, मेरठ नामक डिप्लोमा इन कार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 के किया जाना  
प्रस्तावित है।

2 यह कि हमारी द्रष्ट के नाम ग्राम दना, तहसील मवाना जिला मेरठ में गांटा संख्या 666,677,679  
कुल 3160 वर्गमीटर रखना क्रमसः 1770 वर्गमीटर +1390 वर्गमीटर, (कुल रखना 0.3160 हेक्टेयर) भूमि

3 यह कि उपरोक्त भूमि पर गिरो प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा  
जैसों भूमि विवाद रहित है।

4 यह कि उपरोक्त पर्याप्त पर द्रष्ट के नाम उपलब्ध भूमि के लिया संख्या गांटा संख्या 666,677,679  
कुल 3160 वर्गमीटर रखना क्रमसः 1770 वर्गमीटर +1390 वर्गमीटर, (कुल रखना 0.3160 हेक्टेयर) भूमि  
के पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन कार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव द्रष्ट की  
दैठक दिनांक 07/02/2020 द्वारा पारित किया गया है।

5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्ताव डिप्लोमा कार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण  
अनुमोदित नहीं के अनुसार किया गया है।

6 यह कि, निरोक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पर्याप्त पर द्रष्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं

निरापत्ति भवनों की ही निरोक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रतुता किया गया है।

7 यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर, नई दिल्ली के  
नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।

8 यह कि, इस संस्था में कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक  
डिप्लोमा परिषद समन्वय पाद्यकाम एवं प्रशिक्षा क्रमानुसार के अनुसार ही माध्यम में प्रशिक्षण प्रदान किया  
जाएगा।

9 यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर नई दिल्ली से  
अनुमोदित एवं प्राविधिक डिप्लोमा परिषद उत्तर प्रदेश से समन्वय संस्था एवं पाद्यकाम के अधिकारियों  
के अनुमोदित एवं परिषद, नियोगियालय द्वारा अनुमोदित/सम्मिलित कोई अन्य  
संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न हो पूर्व में पूर्व में अभी किया  
जाएगा है, और न ही भवित्व में कोनो किया जाएगा।

  


- 10 यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक बलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
- 11 यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अकौशिक स्टाफ की तैनाती द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर दिया जायेगा।
- 12 यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-गांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्वतीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया नियम अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 13 मैं धूपण करता/करती हूं कि मेरे द्वारा संलग्न अभिलेख एवं प्रविष्ट की गयी सूचना मेरी ज्ञानकोष में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/ दस्तावेज फर्जी, कट्टरवित अथवा अदिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हसनिया

80 वैष्णवी

